



फोन नं. 0145-2629476

क्रमांक : अअ/नगर/खण्ड/2017-18/त.स./35/86

कार्यालय अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड-1, अजमेर (राज.)

(Email :- ee.phed@yahoo.in)

दिनांक : 30/8/17

श्रीमान प्रधान मुरय वन संरक्षक
होफ, राजस्थान जयपुर।

विषय:-प्रस्ताव पर लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक F14 (water)2017/FCA/PCCF Jaipur dated
21-07-2017 के क्रम में।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के विषय में निवेदन है कि RCC OHSR of capacity 190 KL proposed at Rambay station Harizan Basti for water supply in the area कार्य हेतु अजमेर जिला/वनमंडल अजमेर की कुल 0.0225 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/26264/2017 दिनांक 20.05.2017 को ऑनलाईन रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव पर लगाये गये आक्षेपों के बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या B-1 में चाही गई सूचना निम्नानुसार है-

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	प्रस्ता वन क्षेत्र	दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	FP/RJ/WATER /13429/2015	जिंदा चिल्ला मदार जल सप्लाई	0.0578 हैक्टयर	29.07. 2015	वन विभाग द्वारा स्वीकृत
2	FP/RJ/WATER /17530/2016	अजयसर करखेडी व हाथीखेडा गांव में जल सप्लाई	0.09 हैक्टयर	13.01. 2016	प्रस्ताव को वापस लेने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-ii(b) में KML file संशोधित कर सलंगन कर दी गई है। प्रस्तावित वन क्षेत्र का पोलिगन एरिया 225 square metres है जो कि 0.0225 हैक्टयर के बराबर है किन्तु KML file में हैक्टयर युनिट उपयोग में लेने पर एरिया केवल 2 decimel digits में ही दिखाया जाता है जिससे 0.0225 है० round off होके 0.02 है० दिखाई देता है।


3. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-iii में जी०टी० शीट संशोधित कर सलंगन कर दी गई है।


4. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-iv में DGPS/Total station map संशोधित कर सलंगन कर दी गई है।

5. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D में चाही गई सूचना सलंगन कर दि गई हैं

6. बिन्दु में चाही गई समस्त सूचना प्रस्ताव के साथ सलंगन कर ली गई है।

अतः उक्त अनुसार आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


सहायक अभियंता
जन स्वा. अभि. विभाग
नगर उपखण्ड प्रथम, अजमेर


अधिशाषी अभियंता
जन स्वा. अभि. विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर